2021/8

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री गोविन्द कुमार पुत्र श्री वगताजी निवासी भारजा तहसील पिण्ड़वाड़ा जिला सिरोही।		1. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत भारजा

किस्म मुकदमा– पंचायत निगरानी 97(2) स्थगन मुकदमा नं. 01 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
06.01.2021	प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत नोटिस क्रमांक 1505 दिनांक 15.12.2020 को निरस्त कराने हेतु पेश किया गया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर संबंधित अभिलेख तलब होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 15.02.2021 को पेश हो। जिला कलक्टर, सिरोही	25 8/1/21
15.02.2021	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी उपस्थित, जिन्होने जवाब पेश किया। बहस हेतु समय चाहते है। न्यायहित में मौका दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 16.03.2021 को पेश हो। जिला कलक्टर,सिरोही	
16.03.2021	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी श्री गोविन्द कुमार पुत्र श्री वगताजी माली ने मूल निगरानी में एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि इस निगरानी प्रार्थना पत्र में ग्राम पंचायत भारजा एवं प्रार्थी के मध्य राजीनामा होने से जरिये Withdrawel खारिज करना फरमावे। प्रार्थना पत्र को [illegible] किया गया। अप्रार्थी को कोई ऐतराज नहीं होने [illegible] प्रार्थी [illegible] यह स्थगन प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया [illegible] है। निर्णय सरे इजलास सुनाया [illegible] होकर नंबर से कम हो। (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर,सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:14:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner